



कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)
e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com visit:-www.nagarnigamrudrapur.com
(दूरभाष- 05944-242400 फैक्स-05944-243316)



पत्रांक:- 634 / कर अनु०/2025-26

दिनांक- 03/06/2025

“निविदा सूचना”

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा पुनः निम्नलिखित ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र सं	कार्य का नाम	निविदा की तिथियाँ	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष/अनुभाग
1.	डिवाइडरों के सौन्दर्यीकरण रखरखाव व अनुरक्षण किये जाने में नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने हेतु निविदा			
2.	सार्वजनिक शौचालयों में विज्ञापन होर्डिंग लगाये जाने हेतु निविदा	दि 010.6.25 के 11:00 AM बजे से	दि 024.6.25 के 3:00 PM बजे	कक्ष सं० 08
3.	ई-रिक्षा, रिक्षा, हाथ ठेला, बस एवं ट्राली/पानी टैकर के ट्रेड लाइसेंस नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से नवीनीकरण/बनवायें जाने हेतु	दि 024.6.25 के 12:00 PM बजे तक		

उपरोक्त निविदा की शर्तें व नियम नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती हैं।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

महापौर
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर



कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)
e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com visit:-www.nagarnigamrudrapur.com
(दूरभाष- 05944-242400 फैक्स-05944-243316)



पत्रांक:- / कर अनु०/2025-26

दिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु प्रेषित-

- कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- सम्पादक ~~आमरुद्धपला~~ एवं ~~दूरभाष~~ इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 10.6.25 के अंक में न्यूनतम दरों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एवं उक्त समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का काट करें।
- श्री सुमित कुमार, कनिष्ठ सहायक सह डा.इ.आ. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना, निविदा शर्तें नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड करना एवं निश्चित तिथि को निविदा कमेटी के समक्ष टैंडर खोलना सुनिश्चित करें।
- कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर के सूचना पट्ट पर चर्चा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

011

उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली)

नियमावली 2015 के अनुपालन में:- नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डिवाईर्डरों के सौन्दर्यीकरण रखरखाव व अनुरक्षण किये जाने में नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने हेतु ई-निविदा


(2025-27) की शर्त एवं प्रावधान:-

1. डिवाईर्डरों के सौन्दर्यीकरण रखरखाव व अनुरक्षण किये जाने में नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने हेतु ठेके की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष तक के लिये मान्य होगी।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु प्रत्येक डिवाईर्डरों के सौन्दर्यीकरण रखरखाव व अनुरक्षण किये जाने में नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने के लिए न्यूनतम बोली की धनराशि दो (02) वर्ष तक के लिये अलग-अलग निर्धारित है। अतः प्रत्येक डिवाईर्डरों के सौन्दर्यीकरण रखरखाव व अनुरक्षण किये जाने हेतु नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने हेतु अलग-अलग निविदा भी डाली जा सकती हैं, जिसकी जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त देय होगी।
3. उच्चतम निविदादाता की दरें (ठेका) स्वीकृत होने के 03 (तीन) दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 03 प्रतिशत) नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार को कार्यादेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अन्तर्गत ठेके की राशि के 03 प्रतिशत की दर से देय होगा।
4. तकनीकी निविदा के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, एवं किन्ही 05 वर्षों में से (वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) किन्ही 03 वर्षों का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने से पूर्व 10 प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 जो कि नगर आयुक्त पदनाम से बन्धक हो जमा करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ ₹0 1,00,000.00 (रु0 एक लाख मात्र) का सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी) द्वारा निर्गत नवीनतम हैसियत प्रमाण/Net Worth प्रमाण पत्र की मूल प्रति सलंग्न करना अनिवार्य होगा। हैसियत प्रमाण पत्र 06 माह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदा दाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं किया गया हैं, निविदा के साथ-साथ निविदा प्रपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित निविदा नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
7. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तावित प्रत्येक निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर के नाम बन्धक हो, प्रतिभूति के रूप में एफ0डी0आर0 के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है तथा प्रत्येक डिवाईर्डरों के सौन्दर्यीकरण रखरखाव व अनुरक्षण किये जाने हेतु नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने हेतु अलग-अलग एफ0डी0आर0 संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसे ई-निविदा के साथ मूलरूप में नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना होगा।
8. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेंगी।
9. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की अतिरिक्त धनराशि सहित निविदा स्वीकृति के 03 दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा निविदा की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त 06 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा,

[Digital Scrin Hording]

जिन्दगी बुनो, तमाङु नहीं

Hema I



अन्यथा निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत हुई हो, की अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, साथ ही धरोहर/प्रतिभूति राशि यदि कोई हो तो जब्त कर दी जायेगी तथा द्वितीय बोलीदाता (H2) को उतनी ही धनराशि पर कार्य करने की कार्यवाही की जायेगी।

10. निविदादाता के द्वारा बिल बोर्ड/कियोस्क (विज्ञापन पट्ट) इस प्रकार लगाये जायेंगे कि वे किसी भी दशा में डिवाइडर से बाहर नहीं होंगे। यदि डिवाइडर की चौड़ाई 2 फीट से कम है तो डिवाइडर पर मात्र गमले लगाकर सौन्दर्यकरण किया जायेगा।
11. भविष्य में यातायात, जनसुविधा, सौन्दर्यकरण की दृष्टि या उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और मा० न्यायालय के आदेश पर कोई भी ग्लो पोल ट्री गार्ड विज्ञापन हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित एजेन्सी को निर्धारित समय में ग्लो पोल ट्री गार्ड विज्ञापन को हटाना होगा। इस सम्बन्ध में एजेन्सी को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति देय हेतु समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
12. किसी भी निविदादाता को ब्लैक लिस्टेड होने पर निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। “निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह ब्लैक लिस्ट नहीं है तथा उसके नाम पर किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/संस्था में देनदारी नहीं है”।
13. अपरिहार्य कारणों से यदि ससमय निविदा न हो पाने की दशा में निविदा धनराशि में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि करते हुए समयावृद्धि किये जाने हेतु बोर्ड/समिति का निर्णय अंतिम होगा।
14. अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने या अनुबन्ध निरस्त किये जाने के पश्चात् डिवाइडर पर सौन्दर्यकरण हेतु लगाये गये गमले, हेज व जाली आदि सामग्री पर नगर निगम का अधिकार होगा। निविदादाता मात्र स्वयं के विज्ञापन पट्ट ही ले जाने को स्वतंत्र होगा।
15. डिवाइडर पर हेज/गमले लगाने व अनुरक्षण करने का कार्य निविदादाता द्वारा किया जायेगा तथा नगर निगम इसके लिए काई भी धनराशि उपलब्ध नहीं कराएगा। अनुरक्षण सतत एवं लगातार किया जायेगा, अनुरक्षण न किये जाने पर नगर निगम द्वारा निविदादाता को इस हेतु नोटिस जारी किया जायेगा, इसके बाद भी कार्यवाही न किये जाने पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
16. नये ग्लो पोल ट्री गार्ड इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि कोई घटना/दुर्घटना होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता/फर्म/ठेकेदार की होगी।
17. नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने का अधिकतम साईज 2×1.5 से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 2.5 मी० से कम नहीं होगा या स्थल के अनुसार कम करना होगा। नये ग्लो पोल ट्री गार्ड चिह्नित किये गये स्थलों पर ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर नये ग्लो पोल ट्री गार्ड नहीं लगाये जायेंगे।
18. नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने हेतु एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर ही लगाये जायेंगे। नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
19. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन तथा आम जनमानस में घृणा फैलाने, साम्राज्यिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले विज्ञापन तथा शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले विज्ञापन प्रसारित नहीं किये जायेंगे।
20. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर का निर्णय मान्य होगा, तथा ठेके के प्राविधानों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर) के यहां अपील की जा सकती है।

21. किसी भी ई-निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर में निहित होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जिला उधम सिंह नगर होगा।
22. निविदादाता को निविदा तिथि समाप्त होने के पश्चात् ही जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
23. सम्बन्धित नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने हेतु एजेन्सी को समय-समय पर जारी मात्रा न्यायालय/जिला प्रशासन/ निगम के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
24. नये ग्लो पोल ट्री गार्ड विज्ञापन में लगे व्यक्तियों, श्रमिकों या फर्म के किसी भी कार्मिक के साथ घटना/दुर्घटना पर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कर्मिकों का नियमानुसार पी०पी० एफ०, बीमा, सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी।
25. निविदादाता को अपना स्थायी/अस्थायी पता व मोबाइल व ई-मेल जिस पर उससे सम्पर्क किया जा सके देना अनिवार्य होगा व इसके परिवर्तन की दशा में उसे तत्काल विभाग को सूचित करना होगा। निविदादाता को मोबाइल पर दी गयी सूचना नोटिस की भाँति ही समझी जायेगी।
26. निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिंडीकेट या कार्टेल या पूर्व में रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
27. नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने का फाउन्डेशन व उसका स्वरूप नगर निगम के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा उल्लिखित व्यौरे के अनुसार ही रखना होगा।
28. प्रत्येक नये ग्लो पोल ट्री गार्ड को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित धातु (स्टील) के होंगे,
29. ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो, ऐसे विज्ञापन पट्ट नहीं लगाये जायेंगे।
30. सभी नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने हेतु अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली-भाँति मरम्मत किये जाये, जो कि ढाँचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी, तथा समय-समय पर उनका रंग-रोगन किया जायेगा जिससे नगर की सुन्दरता बनी रहें।
31. अनुबन्धकर्ता का यह कर्तव्य व उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा घेरे गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।
32. नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने हेतु अनुज्ञात स्थान पर ही प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।
33. राज्य सरकार या नगर निगम, द्वारा पी०पी०पी० मोड़ में प्रस्तावित ऐसी योजनाएँ जिनमें विज्ञापन के अधिकार भी दिये गये हो, पर यह शर्तें लागू नहीं होगी।
34. निविदादाता को उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण नियमावली 2009 में विहीत प्राविधानों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा।
35. यदि प्रस्तावित चिन्हित स्थलों पर अपरिहार्य कारणों से स्थल परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो उसके स्थान पर अनुबन्धकर्ता को नया स्थल चिन्हित कर दिया जायेगा। नये स्थल चयन में समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
36. निविदा खोलते समय समस्त पत्रों की मूल प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगी। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

7. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में ई-निविदा की शर्तें अनुबन्ध का भाग होगी, तथा उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर अनुबन्धकर्ता को 15 दिवारा का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उक्त समाधान न किये जाने पर प्रथम बार में ₹ 5,000/- दूसरी बार में ₹ 10,000/- जुर्माना व तीसरी बार में ठेके निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।
38. स्क्रैप की नीलामी- नगर निगम सीमा में अवैध रूप से विज्ञापन के लिये प्रयुक्त वस्तुओं, खम्भों, गार्टर, यूनीपोल, जाल, एंगिल, प्रिल, घेरा, ढोंचा आदि को चाहें वह नगर निगम की सार्वजनिक भूमियों, भवन, सड़क, खड़ंजा, डिवाईडर आदि पर हो अथवा अन्य किसी रार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत भूमि अथवा भवन पर हो या अन्य प्रकार से हो, नगर आयुक्त, नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत जब्त कर लेगा तथा स्क्रैप व कबाड़ को अधिनियम की धारा 521 के अन्तर्गत नीलामी अथवा अन्य प्रकार से विक्रय अथवा निस्तारित कर सकता है, जैसा वह उचित रामङ्गे।

अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि-


- (क) उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, एवं जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- (ख) प्रस्तावित नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने हेतु अशिष्ट, अश्लील, घृणारप्यद, वीभत्सा, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनष्टिकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रिति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या मदोन्मत्ता को कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो;
- (ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो;


डिवाईडरों के सौन्दर्यकरण रखरखाव व अनुरक्षण किये जाने हेतु नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने हेतु चयनित स्थल

क्र.स.	चयनित स्थल	साईज	नये ग्लो पोल ट्री गार्ड सं०	नये ग्लो पोल ट्री गार्ड विज्ञाप पर ऑकलित धनराशि
1-	डी०डी० चौक से किछा वाईपास रोड	2X1.5	400	400X50X24=4,80,000
2-	डी०डी० चौक से गाबा चौक तक	2X1.5	124	124X50X24=1,48,800
3-	गॉधी पार्क के पीछे अम्बेडकर पार्क से विशाल मेगा मार्ट तक	2X1.5	60	60X50X24=72,000
4-	गल्ला मण्डी रोड पर	2X1.5	20	20X50X24=24,000
5-	ओमेक्स रोड	2X1.5	60	60X50X24=72,000
6-	पाल फोर्ड रोड से गुरुद्वारा तक आवास विका	2X1.5	50	50X50X24=60,000
7-	बालाजी द्वार से इन्द्रा कॉलोनी (जैन मन्दिर तक)	2X1.5	50	50X50X24=60,000
8-	रुद्रा होटल से रैनबो स्कूल तक	2X1.5	25	25X50X24=30,000
	कुल		789	9,46,800.00

① डिवाईडरों के सौन्दर्यीकरण रखरखाव व अनुरक्षण किये जाने हेतु नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने हेतु ई-निविदा की निर्धारित Key Dates निम्नानुसार है:-


S.No	Schedule/ Information	Date	Time
1	Date of online publication	10.6.25	11. A.M.
2	Documents download start date	10.6.25	11. A.M.
3	Bid submission start date	10.6.25	[1 A.M.]
4	Bid submission End date	24.6.25	12. P.M.
5	offline submission of hard/ original copy of documents End Date	24.6.25	12. P.M.
6	Bid Opening Date	24.6.25	3. P.M.


(निशा दुबे)
कर एवं राठनामो
नगर निगम रुद्रपुर



(पंकज बिष्ट)
कर निरीक्षक
नगर निगम रुद्रपुर


(लता आयोडी)
कर अधीक्षक
नगर निगम रुद्रपुर


(ज्योति मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रुद्रपुर


(श्यामली जोशी पाण्डेय)
उप नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर


(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर


(विकास शर्मा)
महापौर
नगर निगम रुद्रपुर